कार्यालय – अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर।

क्र.जे.पी.डी./अध्यक्ष डिस्कॉम्स / अधी.अभि.(आर.ई.)/अधि.अभि.(।।)/प./ प्रे. 676 दि. 31.8.18

आदेश

वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट घोषणा अनुरूप लक्षित 2,00,000 कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में नये कृषि कनेक्शनो को समय से जारी करने की प्रकिया में निम्न प्रावधान किये जाते है।

1. मांगपत्र जमा होने की स्थिति में यदि आवेदक द्वारा स्वंय के स्तर पर लाईन व सब स्टेशन स्थापित करने का विकल्प नहीं दिया गया है तो ऐसे समस्त कृषि कनेक्शन हेतु निगम द्वारा सामान परिवहन व लाईन खड़ी करने का कार्य किया जावेगा।
2. आवेदक द्वारा विकल्प देने के उपरांत यदि सामान का परिवहन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक का सामान पहुंचाने व जॉब कार्य निगम स्तर पर ही पूर्ण किया जायेगा।
3. यदि आवेदक द्वारा विकल्प देने के पश्चात सामान परिवहन कर लिया गया है लेकिन जॉब कार्य पूर्ण करने में असमर्थ है, ऐसी स्थिति में निगम स्तर पर ही कार्य पूर्ण किया जायेगा।
4. जॉब ऑर्डर की पूर्णता पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता, फीडर इंचार्ज, आवेदक व कान्ट्रेक्टर फर्म प्रतिनिधि से हस्ताक्षर अनिवार्य होंगें। यदि आवेदक उपलब्ध नहीं है तो भी कनिष्ठ अभियंता, फीडर इंचार्ज व कान्ट्रेक्टर फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से जॉब ऑर्डर पूर्ण माना जावेगा एवं इसी के अनुरूप सर्विस कनेक्शन जारी कर दिये जावे।
5. यदि आवेदक कनेक्शन लेने की स्थिति में नहीं है, जैसे कनेक्शन हेतु मोटर–फिटिंग पूर्ण नहीं है, तो उसका ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किया जायेगा लेकिन उसकी वजह से अगली प्राथमिकता वाले कनेक्शनों को नहीं रोका जावेगा।
6. ऐसे आवेदक जिनके बिन्दू 05 के अनुरूप ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किये गये है, उनकी भविष्य में बिलिंग ट्रांसफार्मर स्थापित होने की दिनांक से ही की जावे।

उपरोक्त प्रावधान तीनों विद्युत निगमों में केवल चालू वित्तीय वर्ष हेतु ही लागू रहेंगें।

(आर.जी. गुप्ता) 31/8/2018
अध्यक्ष डिस्कॉम्स